



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-19.10.2024

थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु०अ०सं० 663/24 धारा 309(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटी हुई मो०सा० होण्डा सीडी ड्रीम नं० UP-17N-2878, एक मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस व अन्य एक मोबाईल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री विनय पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम आचार्य खेडा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 08.10.2024 को समय 18.30 बजे



तीन अज्ञात लुटेरों द्वारा उससे बावली अण्डरपास पर मोटरसाईकिल होन्डा सीडी ड्रीम नं० UP17-N-2878 व मोबाईल फोन लूट लिए गये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 663/24 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 663/24 धारा 309(4) बीएनएस का

सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई मो0सा0 होण्डा सीडी ड्रीम नं0 UP-17N-2878, एक मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस व अन्य एक मोबाईल फोन बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अनुराग पुत्र रविन्द्र निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मोहित पुत्र ओमसिंह निवासी ग्राम कान्हड़ थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई मो0सा0 होण्डा सीडी ड्रीम नं0 UP-17N-2878।
- लूटा हुआ एक मोबाईल फोन।
- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- अन्य एक मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-का0 775 मंजीत सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 19.10.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/2024 धारा 324(4)/326(क)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल, आरी, प्लास, पैंचकस हुए बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 149/2024 धारा 324(4)/326(क)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल, आरी, प्लास, पैंचकस बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तगण का नाम व पता-

गौतम पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 254/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2-मु0अ0सं0 149/2024 धारा 324(4)/326(क)/61(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 155/24 धारा 103(2)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 170/24 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 28/2020 धारा 364ए/395/397/412/420/34 भादवि थाना कोतवाली रुद्रपुर राज्य उत्तराखण्ड ।
- 6-मु0अ0सं0 06/2020 धारा 395/397/412/34 भादवि व 6/25(2) आर्म्स एक्ट थाना रुद्रपुर राज्य उत्तराखण्ड ।



बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त सब्बल, आरी, प्लास, पैंचकस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 149/2024 धारा 324(4)/326(क)/61(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना चांदीनगर
- 3-है0का0 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर ।
- 4-है0का0 560 ओंकार थाना चांदीनगर ।
- 5-का0 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर ।
- 6-हो0गा0 749 जन्मवीर थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक-19.10.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 146/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को थाना बालैनी पर वादी श्री रमेश चन्द्र पुत्र स्व० श्री छंगा निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08.10.2024 को रात्रि को अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके



घर के गेट पर बधी गाय को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 146/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 146/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- थाना बालैनी पुलिस द्वारा दिनांक 09.10.2024 को चोरी हुई गाय को बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र स्व० रामस्वरूप निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-म0उ0नि0 यूटी आरती थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 940 अभिषेक शेखावत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 556 राहुल थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 19.10.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

महबूब पुत्र सिदू निवासी ग्राम नगलाकांसा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 809 शिव कुमार सोलंकी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का0 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 19.10.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला कुरेशियान करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक -19.10.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

मंगता पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 164 विकास थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 1084 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।